बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 117

अल्प बचत में सुधार

सरकार ने जुलाई-सितंबर तिमाही में विभिन्न शासकीय अल्प बचत योजनाओं की ब्याज दर में 10 आधार अंक की कमी की है। इनमें राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) और लोक भविष्य निधि भी शामिल हैं। हालांकि जमा बचत की दर को 4 फीसदी वार्षिक पर स्थिर रखा गया है।

एनएससी पर वार्षिक ब्याज दर अब 7.9 फीसदी हो चुकी है जबकि यह पहले 8 फीसदी थी। किसान विकास पत्र पर 7.6 फीसदी ब्याज मिलेगा। इसकी परिपक्वता अवधि 113 महीने की है।

सरकार को ब्याज दरों के पारेषण तंत्र को तार्किक बनाने की इस कोशिश का श्रेय दिया जाना चाहिए। यह सत्ताधारी दल के वर्ष 2019 के आम चुनाव के घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप ही है जहां उसने पूंजी की वास्तविक लागत में ढांचागत कमी लाने की बात कही थी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अब रीपो दर में तीन बार कटौती कर दी है। यह कटौती हर बार 25 आधार अंक रही और अब रीपो दर 5.75 फीसदी रह गई। परंतु इन कटौतियों का पूरा लाभ कर्जदारों को नहीं मिला।

कई बैंकों ने दलील दी कि उन्हें अल्प बचत योजनाओं से प्रतिस्पर्धी दबाव महसूस हो रहा है। छोटी बचत करने वालों की बात करें तो ये योजनाएं उन्हें सामान्य से बहुत अच्छा प्रतिफल देती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दरें नियंत्रित हैं। ऐसे में कई लोग बैंक जमा के बजाय उन्हें प्राथमिकता देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बैंक जमाकर्ताओं की जाने वाली ब्याज की पेशकश और अल्प बचत योजनाओं की दर के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं हो सकता। अगर बैंक जमाकर्ताओं को उच्च ब्याज दर की पेशकश नहीं कर पाएंगे तो एक किस्म का संघर्ष उत्पन्न होगा।

ऐसे में केंद्रीय बैंक रीपो दर में चाहे जितनी दफा कटौती करे, बैंकों की मुश्किल बनी रहेगी। मौद्रिक नीति पारेषण की बात करें तो यह एक अहम समस्या है और आरबीआई ने भी प्राय: इसका जिक्र किया है।

जमाकर्ताओं को अल्प बचत योजनाओं पर दी जाने वाली दरों में ताजा कटौती इस दिशा में पहला कदम होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में ब्याज दरों को स्वत: इस बाजार आधारित दरों के साथ सुसंगत बनाया जाना चाहिए। ऐसा करने से मौद्रिक नीति का अबाध पारेषण सुनिश्चित हो सकेगा। अल्प बचत योजनाएं जमाकर्ताओं को यह अवसर देती हैं कि वह सरकार के साथ कम जोखिम पर अपनी राशि जमा कर सकें।

दूसरे शब्दों में कहें तो इन दरों को सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल के साथ सुसंगत होना चाहिए। बहुत खेद की बात है कि तमाम राजनीतिक कारणों से अक्सर ये नियंत्रित ब्याज दरें सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में आ रहे बदलाव को परिलक्षित नहीं करतीं। जबकि सरकारी बॉन्ड दर के प्रतिफल की दर बाजार से संबद्ध होती है। उदाहरण के लिए चुनाव के ऐन पहले सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल की दर में कमी देखने को मिली लेकिन उस दौरान नियंत्रित ब्याज दरों में कोई कमी नहीं आई।

यह कटौती भी पर्याप्त नहीं है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इस तिमाही में सरकारी बॉन्ड प्रतिफल 40 आधार अंक तक नीचे हैं जबकि अल्प बचत दरों में केवल 10 आधार अंक की कटौती की गई है।

सरकार को जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि अल्प बचत योजनाओं की ब्याज दर को सीधे-सीधे सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल की दर से जोड़ दिया जाए। इससे इस निर्णय पर पड़ने वाला राजनीतिक दबाव समाप्त हो जाएगा और मौद्रिक नीति पारेषण सहज और सुगम होगा।

अजय मोहंती

पर्यावरण संरक्षण व आर्थिक विकास के लिए चार विचार

राज्यों को जलवायु जोखिमों की गहरी समझ रखते हुए जलवायु परिवर्तन पर अपनी कार्य योजनाओं को अद्यतन बनाना चाहिए। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं अरुणाभ घोष

अब चुनाव पूरे हो चुके हैं, इसलिए चुनावी घोषणा-पत्रों के 'पर्यावरण' से संबंधित वादों को भूलना आसान होता है क्योंकि आम तौर पर पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को परस्पर विरोधी माना जाता है। यहां ऐसे चार विचार पेश किए जा रहे हैं, जो न केवल पर्यावरण जोखिमों से निपटते हैं बल्कि आर्थिक लागत को घटाते हैं और निवेश एवं वृद्धि के लिए नए मौके पैदा करते हैं।

जलवायु जोखिम खत्म करने की मुहिम

जलवायु जोखिम एक रफ्तार से नहीं बढ़ते हैं, जिनमें तापमान में बढ़ोतरी होने पर अचानक भारी बढ़ोतरी होगी। रिकॉर्ड गर्म हवाएं, तटीय क्षेत्रों में बार-बार बाढ़, सूखे से कृषि उत्पादन पर असर गर्मी, पानी, फसल नुकसान और पारिस्थितिकी बिगड़ने के मिश्रित दबावों का संकेत देते हैं। जलवायु जोखिम आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिम भी पैदा कर देते हैं। अन्य किसी गंभीर जोखिम की तरह हमें अनुमान से अधिक विकट हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, बजाय कम नुकसानदेह परिणामों की उम्मीद में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के। जलवायु जोखिम खत्म करने की मुहिम का लक्ष्य एक दशक में भारत के जलवायु जोखिम में अहम कमी लाना होना चाहिए।

सबसे पहले हमें भारत के लिए जलवायु जोखिम मानचित्र विकसित करने की जरूरत है। इसके अलावा अहम जोखिमों जैसे तट, शहरों में गर्मी के दबाव, जल के दबाव, फसल को नुकसान और जैवविविधता को नुकसान पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद 2020 के मध्य तक राष्ट्रीय जलवायु जोखिम सूचकांक विकसित किया जाना चाहिए। इस सूचकांक की पद्धतियों को हर साल अद्यतन एवं परिष्कृत बनाया जाना चाहिए। इस मुहिम में बीमा कंपनियों को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि अगर वे विकट मौसमी घटनाओं के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होंगी तो शहरी और तटीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा कारगर साबित नहीं होगा।

इस राष्ट्रीय मुहिम के साथ हर राज्य के लिए सूचकांक बनाए जाने चाहिए। राज्यों को जलवायु परिवर्तन पर अपनी कार्ययोजनाओं को अद्यतन बनाना होगा और जलवायु जोखिमों की गहरी समझ रखनी होगी। शुरुआत में जलवायु जोखिम खत्म करने की रणनीति राष्ट्रीय स्तर और सबसे अधिक जोखिम वाले पांच राज्यों के लिए तैयार की जानी चाहिए। इससे जलवायु जोखिम सूचकांक को राष्ट्रीय और राज्य आपदा नियंत्रण प्राधिकरणों की आपदा जोखिम कम करने की योजनाओं से जोड़ा जा सकेगा।

भारत उत्सर्जन कारोबार योजना

भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रोत्साहन देकर जलवायु के क्षेत्र में अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। लेकिन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के जलवायु को बेहतर बनाने से संबंधित कार्यक्रमों में विदेशी निवेश सीमित बना हुआ है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जलवायु की पहल सुस्त पड़ रही हैं। ऐसे समय में भारत भारतीय उत्सर्जन कारोबार योजना (आईईटीएस) स्थापित करने के इरादे जाहिर कर अपनी अगुआ स्थिति को मजबूत कर सकता है।

आईईटीएस के बहुत से फायदे मिलेंगे। यह उद्योग को दीर्घकालिक एवं विश्वसनीय नीतिगत दिशा देगी और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करेगी। इसके अलावा यह भरोसेमंद ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कारोबार के बाजार का खाका तैयार करने, इसे लागू करने और निगरानी में रोजगार पैदा करेगी। इससे सरकार के लिए भी राजस्व का एक नया स्रोत बनेगा। साथ ही उत्सर्जन कम करने के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा। कुछ राज्यों और प्रमुख शहरों को शामिल कर एक प्रायोगिक आईईटीएस वर्ष 2022 तक लागू किया जा सकता है। देश भर में आईईटीएस को लागू करने का लक्ष्य 2025 तय किया जा सकता है।

आईईटीएस भारत के वर्तमान ऊर्जा दक्षता कारोबार के ढांचे (यानी प्रदर्शन, हासिल करना और कारोबार योजना) के प्रशासनिक स्वरूप का लाभ उठा सकती है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जैसे नाम मात्र के अन्य कार्बन बाजारों को एक योजना में शामिल किया जाएगा ताकि पारदर्शिता और दक्षता बढ़े। अगर आईईटीएस ठीक से डिजाइन की जाती है तो यह नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण या जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने वाली अन्य योजनाओं के लिए भी लाभकारी हो सकती है। अच्छी निगरानी और सत्यापन नियमों के साथ लागू होने के बाद आईईटीएस अन्य देशों या क्षेत्रों की उत्सर्जन कारोबारी योजनाओं के साथ जुड़ सकती है ताकि अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त का प्रवाह बढ़े।

प्लास्टिक घटाओ, प्लास्टिक हटाओ

वर्ष 2018 में भारत ने घोषणा की थी कि वह 2022 तक एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को खत्म करना चाहता है। हालांकि केवल प्रतिबंध ही पर्याप्त नहीं होगा। इसमें विकल्पों के विकास और व्यवसायीकरण को बढ़ाने के आर्थिक मौके भी हैं, जो नई हरित औद्योगिक नीति का अहम हिस्सा होने चाहिए। प्लास्टिक की हमारे जीवन में गहरी पैठ है। अगर लोग तकनीकी विकल्पों की मांग नहीं करेंगे तो वे उभरेंगे नहीं। प्रधानमंत्री को 'प्लास्टिक घटाओ प्लास्टिक हटाओ' अभियान की अगुआई करनी चाहिए।

इसके बाद प्लास्टिक के उन स्थायी विकल्पों के बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने की बात आती है, जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं। वेंचर निवेश और जोखिमों का आंशिक भार उठाने के लिए सरकारी वित्त पोषण से प्रयोगशालाओं में तैयार विकल्पों का बाजारों में परीक्षण करने और उन्हें व्यावसायिक पैमाने पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। अंत में प्लास्टिक पर रोक के लिए पुरस्कार देने से वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्रियों के लिए शोध एवं विकास, रिसाइक्लिंग के कारोबारी मॉडलों और प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था शुरू करने को समर्थन मिल सकता है।

राष्ट्रीय एयरशेड प्रबंधन प्राधिकरण

हाल में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए दस्तावेज पेश किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर व्यापक पहलों और क्रियान्वयन एजेंसियों का ब्योरा दिया गया है। लेकिन यहां एक शीर्ष संस्था का अभाव है, जो एनसीएपी को क्रियान्वित करने में सहायता, समन्वय और नियमन कर सके। सरकार को 2019 के अंत तक एक राष्ट्रीय एयरशेड प्रबंधन प्राधिकरण (एनएएमए) स्थापित करना चाहिए, जिसके पास वैधानिक शक्तियां होनी चाहिए।

शहरी-ग्रामीण और राज्यों के बीच की दूरी खत्म करने के लिए एयरशेड पर ध्यान देना जरूरी है। इससे एनएएमए को शहरी स्थानीय संस्थाओं और ग्राम पंचायतों से समन्वय स्थापित करने का अधिकार मिलेगा। राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के बिना एनसीएपी के तहत क्षेत्रीय हस्तक्षेप असफल रहेंगे। इसी तरह अगर वैज्ञानिक एयरशेड अवधारणा को नहीं अपनाया गया तो क्षेत्रों में दखल सफल नहीं होगी। एनएएमए को संबंधित एजेंसियों को निर्देश देने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

वायु प्रदूषण से निपटने की प्रवर्तन क्षमता का अत्यंत अभाव है। एनएएमए को राज्यों के स्तर पर संख्या और तकनीकी क्षमता दोनों लिहाज से प्रवर्तन क्षमता बनाने और मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस तरीके से ढांचा बनाने से एनएएमए में सरकारी, निजी और तकनीकी या नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व होगा। यह केवल तभी प्रभावी होगा, जब इसकी वैधानिक शक्तियों को वास्तविक संसाधनों का सहारा मिलेगा। वायु प्रदूषण को खत्म करने से जन स्वास्थ्य लागत में अहम कमी आ सकती है। इससे हमारे शहर रहने लायक बनेंगे और ज्यादा निवेश आकर्षित करेंगे।

जब तक हम पर्यावरण पहल को महज एक लागत समझेंगे तब तक लोग, उद्योग और सरकार पूरी व्यवस्था के साथ खेलते रहेंगे या कोई कदम उठाने से बचते रहेंगे। पर्यावरण बाह्यता तब तक किसी की जिम्मेदारी नहीं है, जब तक सार्वजनिक नीति निर्माता इसे किसी का काम नहीं बनाते हैं। पर्यावरण को लगातार अच्छा बनाए रखने और आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, बाजार बनाए जा सकते हैं और व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है।

(लेखक ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद के सीईओ हैं।)

सरकारी बैंकों की पदोन्नति व्यवस्था में सुधार जरूरी

इंसानी पहलू

श्यामल मजूमदार

एक सरकारी बैंक में कनिष्ठ अधिकारियों की आंतरिक पदोन्नति के कुछ दिन पहले बैंक के महाप्रबंधक को बताया गया कि कुछ उम्मीदवार उनसे मिलना चाहते हैं। अधिकारी को लगा कि शायद वे अपनी पदोन्नति के लिए लॉबीइंग करना चाहते होंगे। वह उनसे मिलना नहीं चाहते थे लेकिन उन्हें बताया गया कि वे काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, महाप्रबंधक मान गए।

इस मुलाकात ने उनकी आंख खोल दी। उन सभी का एक ही अनुरोध था कि उनकी पदोन्नति न की जाए। बैंक में अगले स्तर पर कई रिक्तियां थीं और वह उन्हें भरना भी चाहता था। इधर, ये तमाम लोग चाहते थे कि पदोन्नति के लिए उनके नाम पर विचार ही न किया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे चाहते थे कि महाप्रबंधक अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके साक्षात्कार में उनकी विफलता सुनिश्चित करें।

इस अजीबोगरीब अनुरोध की वजह अलग-अलग थी। कुछ लोग दूसरी जगह जाना नहीं चाहते थे, कुछ अन्य के साथ पारिवारिक मसला था। कुछ लोगों का कहना था कि उनकी सेवानिवृत्ति करीब थी और वे अपने करियर के अंतिम दौर में नई जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहते थे। पूरी चर्चा का बुनियादी तत्त्व यह था कि बैंक ने उस समय उनकी कदर नहीं की जब वे बड़ी जिम्मेदारी उठाने को तैयार थे और उनसे साल दर साल एक ही काम कराता रहा। ऐसे में अब जबकि उनमें करियर को लेकर कोई महत्त्वाकांक्षा ही नहीं बची तो पदोन्नति करने की कोई तुक ही नहीं है। कुछ लोगों के पास दिलचस्प वजह भी थी। मसलन एक शाखा प्रबंधक के काम की कोई कीमत नहीं होती। उन्हें वरिष्ठों से कोई सहयोग नहीं मिलता और किसी भी तरह की दिक्कत खड़ी होने पर उनको बलि का बकरा बना दिया जाता है।

ऐसे में पहली बात तो यह कि वे पदोन्नति के लिए आवेदन ही क्यों करें? लगभग सभी ने कहा कि वे स्वेच्छा से ऐसा नहीं करते बल्कि बैंक ने उनके पास कोई विकल्प ही नहीं दिया। उन्हें या तो साक्षात्कार में शामिल होना होगा या फिर उनका किसी अन्य क्षेत्र में उसी पद पर स्थानांतरण कर दिया जाएगा।

> बैंक ने उस समय कनिष्ठ अधिकारियों की कदर नहीं की जब वे बड़ी जिम्मेदारी उठाने को तैयार थे और उनसे साल दर साल एक ही काम कराता रहा। ऐसे में अब जबकि उनमें करियर को लेकर कोई महत्त्वाकांक्षा ही नहीं बची तो पदोन्नति करने की कोई तुक ही नहीं है।

महाप्रबंधक ने कहा कि कनिष्ठ अधिकारियों के साथ इस छोटी सी बैठक से ही सरकारी बैंकों में मानव संसाधन नियोजन को लेकर हो रही गड़बड़ियां उजागर हो गईं। अधिकांश मामलों में पदोन्नति की कवायद निरर्थक है। अगर ये कर्मचारी या अधिकारी अपने करियर में अब तक उचित कौशल हासिल नहीं कर सके हैं तो अब इन अनिच्छुक अधिकारियों को पदोन्नत करने से भला क्या हासिल होगा? दूसरा मसला यह था कि बैंक ने कभी उनके कौशल में सुधार के लिए कोई कार्यक्रम भी नहीं आयोजित किया।

पहली समस्या तो आकलन व्यवस्था में ही है। सरकारी बैंकों में मानव संसाधन से संबंधित ए के खंडेलवाल के नेतृत्व वाली समिति कहती है कि आकलन व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाती है। ज्यादातर आकलन और रेटिंग को बेहतर बताने का पूर्वग्रह होता है। 80-90 फीसदी कर्मचारियों को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की जाती है। किसी को नाखुश न करने की यह कोशिश अच्छा और बुरा प्रदर्शन करने वालों को एकमेक कर देती है। इतना ही नहीं, इसके चलते सभी स्तरों के कर्मचारियों में एक किस्म की शिथिलता आती है। यह व्यवस्था बीते कई वर्षों से लगातार चली आ रही है। इसकी वजह एकदम साफ है: कर्मचारियों के पर्यवेक्षक के पास कोई अधिकार नहीं होते। वे न तो अपने अधीनस्थों को दंडित कर सकते हैं और न ही कोई प्रोत्साहन दे सकते हैं। ऐसे में आमतौर पर यही भावना रहती है कि अगर कुछ बनाने-बिगाड़ने की स्थिति नहीं है तो केवल रेटिंग के लिए रिश्ते खराब करने की क्या तुक है।

इसके अलावा, कुछ वर्ष पहले लागू हुई पदोन्नति नीति ने किसी अधिकारी को एक स्केल से दूसरे में पदोन्नत करने के लिए एक खास अवधि तक सेवा करना जरूरी कर दिया है। उदाहरण के लिए, पैनल की रिपोर्ट कहती है पहले स्केल एक के किसी अधिकारी को स्केल 4 में मुख्य प्रबंधक बनने में 17 वर्ष और स्केल 7 में महाप्रबंधक बनने में इसके अलावा आठ वर्ष का समय और लगता था। इसका अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उम्र और उनके प्रोफाइल पर बहुत बुरा असर पड़ा। सरकार द्वारा बैंक प्रबंधकों को प्रबंधकीय अधिकार सौंपे जाने और इसके कारण पदोन्नति मानकों में शिथिलता का अधिकार प्रदान किए जाने के बाद हालात में कुछ बदलाव आया है। इतना ही नहीं बैंकों को अपनी पदोन्नति नीति बनाने और फास्ट ट्रैक प्रमोशन करने का अधिकार भी मिल गया।

कुछ बैंकों ने इसका लाभ भी लिया है लेकिन कुलमिलाकर परिणाम बहुत अधिक बेहतर नहीं हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि क्षमताओं की पहचान करने के लिए आकलन केंद्र जैसी ढांचागत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

कानाफूसी

थरूर का क्रिकेट प्रेम

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आई जिसमें वह रविवार को भारत और इंगलैंड के बीच का विश्व कप मुकाबला देख रहे हैं। परंतु सोमवार को वह संसद में नजर आए जहां उन्होंने कार्यवाही में हिस्सा लिया। थरूर ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने सप्ताहांत ब्रिटेन में बिताया जहां उन्होंने ब्रैडफोर्ड साहित्य समारोह में दो भाषण दिए और अपेक्षाकृत निराश करने वाला क्रिकेट मैच देखा। थरूर ने एजबेस्टन में मैच के दौरान टीम की नई जर्सी भी पहनी थी। उन्होंने लिखा कि उन्होंने मैच का लुत्फ लिया लेकिन कुछ मौकों पर वह चूक भी गए (क्योंकि लोग लगातार उनके साथ तस्वीर ले रहे थे।) थरूर ने दिल्ली आने के लिए एयर इंडिया की उड़ान पकड़ी जो तीन घंटे की देरी से चल रही थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वह प्रश्न काल में नहीं पहुंच सके। उन्होंने दोपहर बाद के सत्र में हिस्सा लिया।

वास्तविक खुशी

सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड अकाउंटेंट) की सर्वोच्च संस्था, भारतीय सनदी लेखकार संघ के 70वें वार्षिक दिवस आयोजन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक सुखद संयोग की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस, सनदी लेखाकार दिवस और जीएसटी दिवस है। उन्होंने कहा कि उनके स्कूल के नामांकन फॉर्म में भी उनकी जन्मतिथि यही दर्ज है। इन सुखद संयोगों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता तब होगी जब देश में आर्थिक धोखाधड़ी के मामले खत्म होंगे।

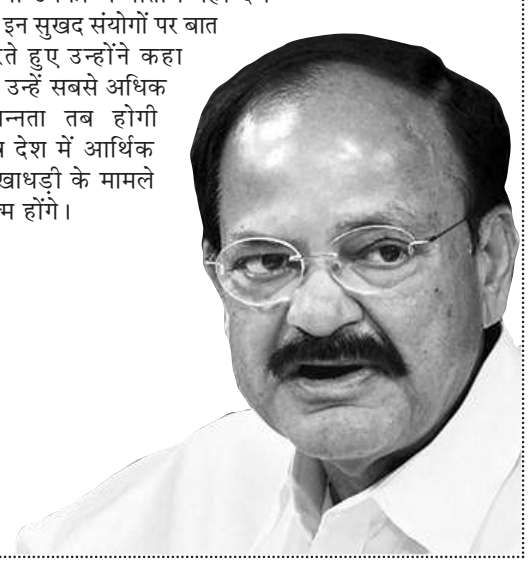

आपका पक्ष

जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन

देश में पहली बार जल संकट पर चर्चा की जा रही है। सरकार भी इस संकट से निजात के लिए गंभीर है और उसने जल संसाधन मंत्रालय बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल संकट के प्रति गंभीर हैं। उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन शुरू करने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि देशवासी जलसंरक्षण के लिए पारंपरिक तौर तरीके अपनाएं। तालाब की संस्कृति को वापस लाने की जरूरत है। आज देश में तालाब सूखते जा रहे हैं या विलुप्त हो रहे हैं। आजादी के बाद से तालाबों के संरक्षण की नीति पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जल दोहन के लिए आधुनिक तकनीक पर जोर दिया जिससे भूजल स्तर कम हो गया। आजादी के पूर्व लोग तालाब का पानी ही इस्तेमाल करते थे जो जलसंकट से निपटने के लिए आज भी कारगर है। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह समुद्री जल को पीने योग्य बनाने वाले संयंत्र का शिलान्यास किया था। यह परियोजना कांचीपुरम जिले में है तथा इसकी लागत 1,259 करोड़ रुपये है। इसकी जलशोधन की क्षमता प्रतिदिन 40 करोड़ लीटर है। गौरतलब है कि भारत की आबादी विश्व की जनसंख्या का 18 प्रतिशत है। पीने योग्य पानी की उपलब्धता केवल 2.5 प्रतिशत ही है। देश के कई बड़े शहरों में भूमिगत जल समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। चेन्नई में भूमिगत जल लगभग समाप्त हो चुका है। यहां के लोग भारी जल संकट से जूझ रहे हैं। यहां का जलाशय सूखने के कगार पर पहुंच चुका है। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए पारंपरिक एवं आधुनिक उपाय करने की जरूरत है। लोगों को भी अपनी तरफ से जल संरक्षण के लिए उचित उपाय करने चाहिए। शिक्षकों को अपने स्कूल-कॉलेजों में भी छात्रों को पानी के महत्त्व के बारे में बताना चाहिए जिससे वह जल संरक्षण के लिए उचित कदम उठा सके।

देश में कई जगह इस साल मॉनसून में देरी से जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

कंपनी, डीलरशिप और ग्राहक

वाहन उद्योग के लिए यह समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कार डीलरशिप का लगातार बंद होना इसका परिचायक है। यह मामला खस्ता आर्थिक स्थिति से जुड़ा है और ग्राहकों को असमंजस में डाल देता है। इसका असर कार की बिक्री पर भी पड़ता है। डीलरशिप का बंद होना ग्राहक की सेवा में समस्या पैदा करता है। इससे ग्राहकों का डीलर के प्रति भरोसा भी उठने लगता है। अब वक्त आ गया है कि इन परेशानियों की हकीकत पर बात हो। मसलन खर्च, मुनाफा मार्जिन, बिक्री के बाद दी जाने वाली सर्विस आदि। अगर वाहन कंपनियां इन सुधारों पर ध्यान नहीं देंगी तो डीलरशिप बंद होने का सिलसिला चलता रहेगा। इसका सीधा असर रोजगार की स्थिति पर पड़ेगा। अविश्वास के कारण कर्मचारियों का भी काम में मन नहीं लगता। इसका सीधा असर कंपनी और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में यह कंपनियों का दायित्व है कि डीलरशिप की स्थिरता बनाए रखने का हरसंभव प्रयास करें। यह सबके हित में है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।